कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री आल इण्डिया कार्पेट यार्न स्पिनर्स एण्ड डीलर्स एसो0,होटल सिराज बिल्डिंग, स्टेशन रोड, भदोही।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**041 / 10, 06.05.2010**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री आल इण्डिया कार्पेट यार्न स्पिनर्स एण्ड डीलर्स एसो0,होटल सिराज बिल्डिंग, स्टेशन रोड, भदोही द्वारा दिनांक 06.05.2010 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा यह पूछा गया है कि ‘‘ यदि कोई ट्रेडर वैट का भुगतान करके विक्रेता ट्रेडर से माल खरीदता है और फिर वही माल निर्यातक को फार्म-ई के अन्तर्गत बेचता है तो क्या भुगतान किये गये वैट की धनराशि क्रेता ट्रेडर को आई0 टी0 सी0 के अन्तर्गत वापस मिलेगी। यदि हॉ तो उक्त आई0 टी0 सी0 कब तक वापस मिल सकेगा और इसके लिए क्रेता व्यापारी को क्या करना होगा ? ‘‘

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को अन्तिम नोटिस दिनांक 15.06.2011 के लिए भेजी गयी। किन्तु कतिपय कारणों से सुनवाई दिनांक 07.07.2011 के लिए स्थगित की गयी जिसमें कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रश्नकर्ता सर्वश्री आल इण्डिया कार्पेट यार्न स्पिनर्स एण्ड डीलर्स एसोसियेशन एक संगठन है। इनके द्वारा कोई व्यापारिक गतिविधि संचालित नहीं की जाती है और न ही ये किसी प्रकार से पंजीकृत अथवा अपंजीकृत रूप से वाणिज्य कर विभाग के अभिलेख पर हैं अत: उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के प्राविधानों के अन्तर्गत person or dealer concerned न होने के कारण अधिनियम के अन्तर्गत वे प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं इसलिए उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं होना चाहिए।

4. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) में विहित प्राविधानों से स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति तब तक प्रश्न नहीं पूछ सकता है जब तक वह पंजीकृत या अपंजीकृत रूप से व्यापारिक गतिविधि न कर रहा हो। प्रार्थी सर्वश्री आल इण्डिया कार्पेट यार्न स्पिनर्स एण्ड डीलर्स एसो0, होटल सिराज बिल्डिंग, स्टेशन रोड, भदोही द्वारा स्वयं कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं की जा रही है और न ही वह पंजीकृत अथवा अपंजीकृत रूप से वाणिज्य कर विभाग के अभिलेख पर हैं। ऐसी स्थिति में वह person or dealer concerned नहीं हैं। अत: उक्त एसोसियेशन प्रश्न पूछने के लिए पात्र नहीं है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

5. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 12 मार्च, 2014

ह0 / 12.03.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।